

वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून, 2017-आषाढ़ 9, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अरुणोदय त्रिपाठी उम्र 21 वर्ष पिता अरुण त्रिपाठी मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर अपना नाम इस्लाम धर्म के मुताबिक मो. शम्स त्रिपाठी रखा है। अतः मुझे अब मो. शम्स त्रिपाठी नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(अरुणोदय त्रिपाठी)

(मो. शम्स त्रिपाठी)

(178-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैंने अपना नाम परिवर्तन कर अभिषेक वर्मा (Abhishek Verma) के स्थान पर अभिषेक सोनी (Abhishek Soni) कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम अभिषेक सोनी (Abhishek Soni) के नाम से जाना व पहचाना जावेगा। सो विदित होवे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(अभिषेक वर्मा)

(अभिषेक सोनी)

(179-बी.)

एफ-17-18, गुरुकृष्ण नगर, शिक्षक नगर के पास,
बिजासन रोड, इन्दौर (म.प्र.)-452005.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वर्तमान नाम मंजू सेंगर सभी रिकॉर्ड में, स्कूल, कॉलेज में लिखा गया है, किन्तु अब मैं, अपना नाम बदलकर अनिका सेंगर रखना चाहती हूँ। अतः अब मेरा नाम सभी रिकॉर्ड, स्कूल, कॉलेज समस्त दस्तावेजों में अनिका सेंगर श्र/श्र राजेश सिंह सेंगर पढ़ा और लिखा जाये।

पुराना नाम :

नया नाम :

(मंजू सेंगर)

(अनिका सेंगर)

(180-बी.)

शंकर नगर, करमेता, जबलपुर।

नाम परिवर्तन

यहकि मैं, जबलपुर में निवासरत हूँ विवाह के पूर्व मेरा नाम कुमारी अनम्मा पुत्री श्री पी. एस. अब्राहम था, परन्तु अब विवाहोपरांत मैं, शपथ करती हूँ कि कुमारी अनम्मा पुत्री श्री पी. एस. अब्राहम के स्थान पर श्रीमती आनी थॉमस (Smt. Anie Thomas) पति श्री टी.सी. थॉमस के नाम से जानी/पहचानी जाती हूँ यहकि सर्विस रिकॉर्ड/बैंक आदि में कुमारी अनम्मा पुत्री श्री पी. एस. अब्राहम दर्ज है। अतः उसके स्थान पर श्रीमती आनी थॉमस (Smt. Anie Thomas) पति श्री टी.सी. थॉमस माना/समझा जाये।

पुराना नाम :

(कुमारी अनम्मा)

नया नाम :

(आनी थॉमस)

(ANIE THOMAS)

(185-बी.)

नाम परिवर्तन

प्रमाणित किया जाता है कि मैं, जुगल पंड्या पिता लक्ष्मण पंड्या जो मेरे पूर्व अध्ययन मार्कशीट जैसे कक्षा 10वीं एवं अन्य दस्तावेजों में जन्म से यही नाम निर्धारित हैं, लेकिन मैं, आज दिनांक से मेरा नाम जुगल पंड्या से बदलकर कृतिक पंड्या (Kratik Pandya) कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :

(जुगल पंड्या)

नया नाम :

(कृतिक पंड्या)

309, सोलंकी नगर, इन्दौर

(187-बी.)

नाम परिवर्तन

पहले मुझे कृति मिश्रा नाम से जाना जाता था। मेरे शैक्षणिक अंकसूची में भी कृति मिश्रा नाम दर्ज है, जिसे अब मैं बदलकर मनुकृति मिश्रा कर रही हूँ। अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(कृति मिश्रा)

नया नाम :

(मनुकृति मिश्रा)

(189-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मेसर्स माँ अंबे इंटरप्राइजेज एक पार्टनरशिप फर्म है, जो कि दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 को निर्मित हुई थी, जिसका फर्म एण्ड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नं. 02/42/01/00198/14 है। उक्त फर्म में दो पार्टनर थे जो कि इस प्रकार हैं :-

1. श्री रत्नेश कुमार पुत्र श्री राम लखन प्रसाद उम्र 64, निवासी म.नं. 53, ग्राम निरपुर, पोस्ट ऑफिस निरपुर, जिला नालंदा, बिहार।
2. श्रीमती कल्पना सिंह पत्नी श्री शिव कुमार सिंह उम्र 36, निवासी C-3/22, विंडसर हिल, सिरोल रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

उक्त दो पार्टनर में से दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को पार्टी क्र. 1, श्री रत्नेश कुमार पुत्र श्री राम लखन प्रसाद फर्म में से रिटायर हो गए हैं तथा पार्टी श्री शिव कुमार सिंह पुत्र श्री रत्नेश कुमार उक्त दिनांक से फर्म में सम्मिलित हो गए हैं।

अतः दिनांक 14 सितम्बर, 2016 के बाद श्री रत्नेश कुमार पुत्र श्री राम लखन प्रसाद का उक्त फर्म से कोई लेना-देना नहीं है।

उक्त संबंध में समस्त आमखास को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय में कोई भी व्यक्ति, संस्था, निकाय, बैंक अथवा अन्य कोई भी किसी प्रकार का हित रखता है, तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर मुझ सूचनादाता को मय सुसंगत दस्तावेजों के अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा समय अवधि समाप्त होने के पश्चात् मेरे पक्षकार का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा आपत्ति प्रभावहीन मानी जावेगी।

द्वारा-अभिभाषक,

विवेक बाथम,

(एडवोकेट),

बाथम एडवोकेट, तारागंज मैन रोड,

लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(181-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार मेरसर्स एग्रीगेट्स मैन्युफैक्चरिंग & मार्केटिंग कं. एक पार्टनरशिप फर्म है, जो कि दिनांक 10 जून, 2014 को निर्मित हुई थी, जिसका फर्म एण्ड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नं. 02/42/01/00098/14 है। उक्त फर्म में दो पार्टनर थे जो कि इस प्रकार हैं :-

1. श्री शिव कुमार सिंह पुत्र श्री रमेश कुमार उम्र 41, निवासी C-3/22, विंडसर हिल, सिरोल रोड, ग्वालियर (म.प्र.).
2. श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री रमेश चंद गुप्ता उम्र 41, निवासी चिटनीस की गोठ, माधवगंज, ग्वालियर (म.प्र.).

उक्त फर्म में दो पार्टनर से दिनांक 17 जनवरी, 2015 को पार्टी क्र. 2 श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री रमेश चंद गुप्ता फर्म में से रिटायर हो गए हैं तथा पार्टी श्रीमती कल्पना सिंह पत्नी श्री शिव कुमार सिंह उम्र 36, निवासी C-3/22, विंडसर हिल, सिरोल रोड, ग्वालियर (म.प्र.). उक्त दिनांक से फर्म में सम्मिलित हो गई हैं।

अतः दिनांक 17 जनवरी, 2015 के बाद श्री मनीष गुप्ता पुत्र श्री रमेश चंद का उक्त फर्म से कोई लेना-देना नहीं है।

उक्त संबंध में समस्त आमखास को सूचित किया जाता है कि उक्त विषय में कोई भी व्यक्ति, संस्था, निकाय, बैंक अथवा अन्य कोई भी किसी प्रकार का हित रखता है, तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 7 दिवस के अंदर मुझ सूचनादाता को मय सुसंगत दस्तावेजों के अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा समय अवधि समाप्त होने के पश्चात् मेरे पक्षकार का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा आपत्ति प्रभावहीन मानी जावेगी।

द्वारा-अभिभाषक,
विवेक बाथम,
(एडवोकेट).

बाथम एडवोकेट, तारागंज मैन रोड,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(182-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. आदिनाथ मोटर्स, स्टेशन रोड, तिलकगंज, सागर जो दिनांक 19 जनवरी, 2000 को निष्पादित कर पंजीकृत भागीदारी फर्म है। जिसमें प्रथम भागीदार श्री महेश कुमार मलैया पुत्र स्व. श्री बालचंद मलैया, द्वितीय भागीदार श्री कपिल मलैया पुत्र श्री महेश कुमार मलैया एवं तृतीय भागीदार श्रीमति प्रीति मलैया पत्नि श्री कपिल मलैया सभी निवासी स्टेशन रोड, तिलकगंज, सागर उपरोक्त फर्म में शामिल हैं।

दिनांक 01 नवम्बर, 2016 को उपरोक्त भागीदारी फर्म में संशोधन कर निम्न नए सदस्यों को शामिल किया है :-

1. श्रीमति सरोज मलैया पत्नि श्री महेश कुमार मलैया उम्र 68, साकिन स्टेशन रोड, तिलकगंज, सागर.
2. श्रीमती शालिनी अभिजीत कोणकर पत्नि श्री अभिजीत विलास कोणकर, उम्र 43, निवासी-E-302, अजमेरा ग्रीन एकड़ कालेना, अग्रहारा, कर्नाटक.
3. श्रीमति स्मिता घई पत्नि श्री विवेक घई, उम्र 42, साकिन A 11, 901, गंगा सेटलाइट पूना (महाराष्ट्र)
4. कु. आकांक्षा मलैया पुत्री श्री कपिल मलैया, उम्र 18 वर्ष, साकिन स्टेशन रोड, तिलकगंज, सागर (म.प्र.)

आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो।

दुष्यंत शर्मा,
(एडवोकेट).

(183-बी.)

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म क्र. 06/10/01/0008/17, दिनांक 04-04-2017 माँ बिल्डकॉन बी, 24 साहजी बिला, विजय नगर, दमोह के नाम से पंजीकृत थी जिसमें दो पार्टनर निम्न अनुसार थे :-

1. राजेन्द्र पटेल आत्मज स्व. श्री टेकचंद पटेल, 2. रोहणी प्रसाद पटेल आत्मज स्व. श्री लालजी पटेल.

अब तीसरे पार्टनर के रूप में श्री बद्रीप्रसाद पटेल पिता श्री बलराम पटेल, ग्राम बमनपुरा को शामिल किया जा रहा है। इसके साथ

में पता में परिवर्तन भी किया गया है। अब से माँ बिल्डकॉन के तीन पार्टनर रहेंगे, जिनमें राजेन्द्र पटेल, 2. रोहणी प्रसाद पटेल व श्री बद्रीप्रसाद पटेल हैं। हमारा नया पता है बी-71, विजय नगर, दमोह (म. प्र.).

मे. माँ बिल्डकॉन,
राजेन्द्र पटेल,
(पार्टनर).

(184-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स ब्रोकन हिल माइनिंग कम्पनी, भोपाल में स्थित है। जिसका फर्म रजिस्ट्रेशन क्रमांक 01/01/01/00004/07, सन् 2007-08, दिनांक 5 अप्रैल 2007 में रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसायटी, भोपाल मध्यप्रदेश में दर्ज है जिसमें 6 भागीदार हैं। (1) श्री जसजीत सिंह वालिया पुत्र श्री मदनजीत सिंह वालिया, म. नं. 188, रिजवान बाग बी.आई.पी. रोड, लाल घाटी, भोपाल, (2) श्रीमती नन्ही जे. उस. वालिया पत्नी जसजीत सिंह वालिया, 188, रिजवान बाग बी.आई.पी. रोड, लाल घाटी, भोपाल, (3) श्री करन जीत सिंह वालिया पुत्र श्री जसजीत सिंह वालिया, 188, रिजवान बाग बी.आई.पी. रोड, लाल घाटी, भोपाल, (4) श्री जसमीत सिंह मालिया पुत्र श्री गुरुदर्शन सिंह मालिया आर/ओ गुप्तेश्वर वार्ड, प्रेम नगर, जबलपुर, (5) सुश्री अंकिता शर्मा सुपुत्री श्री देवेन्द्र प्रसाद शर्मा, बी-27, कोहेफिजा, भोपाल थे। अब वर्तमान में भागीदार सदस्य क्र. 5 सुश्री अंकिता शर्मा सुपुत्री श्री देवेन्द्र प्रसाद शर्मा, बी-27, कोहेफिजा, भोपाल को विलोपित कर भागीदार फर्म में नये सदस्य (5) सुश्री इश्ता शर्मा पुत्री डॉ. सुधीर शर्मा, डी-55, आकृति गार्डन, नेहरू नगर, भोपाल (6) श्री अभिताभ विष्ट पुत्र श्री सुदर्शन सिंह विष्ट, म. नं. 2396, सी-2, वसंतकुंज, नई दिल्ली, (7) श्री सोनी विष्ट सुपुत्री श्री आर. बी. एस. रावत, म. नं. 2396, सी-2, वसंतकुंज, नई दिल्ली को सम्मिलित किया गया है। उपरोक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 26-05-2017 में परिवर्तन कर भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया है। भागीदारी फर्म में पूर्व भागीदार सदस्य यथावत रहेंगे। अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में किसी भी व्यक्ति, संस्था, बैंक, फर्म, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालय आदि को कोई आपत्ति हो, तो इस सूचना के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर मय दस्तावेज प्रस्तुत करें। श्री जसजीत सिंह वालिया पुत्र श्री मदन जीत सिंह वालिया, म. नं. 188, रिजवान बाग बी.आई.पी. रोड, लाल घाटी, भोपाल।

रंजना वाजपेयी,
(अधिवक्ता).

16/1, संजय कॉम्प्लेक्स, फेस-2, भोपाल।

(186-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, आगर, जिला आगर-मालवा

रा.प्र.क्र.02/बी-113/2016-17.

आगर, दिनांक 30 मई, 2017

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (2) के द्वारा]

प्रस्तुत क्र. 4

[देखें नियम 5(1)]

लोक न्यासों के पंजीयक, आगर, जिला आगर-मालवा के समक्ष

आवेदक प्रेमनारायण पिता रामसहाय शर्मा, अध्यक्ष, ब्राह्मण समाज सेवा न्यास, आगर, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (मध्यप्रदेश) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में बालाजी केवड़ा स्वामी पारमार्थिक सेवा न्यास, आगर, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (मध्यप्रदेश) में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 30 जून, 2017 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखे हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम : बालाजी केवड़ा स्वामी पारमार्थिक सेवा न्यास, आगर, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (मध्यप्रदेश) में चल सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य रुपये-15,109.00 नगदी (अक्षरी रूपये पन्द्रह हजार, एक सौ नौ मात्र).

(1825)

रा.प्र.क्र.01/बी-113/2016-17.

आगर, दिनांक 30 मई, 2017

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (2) के द्वारा]

प्रस्तुप क्र. 4

[देखें नियम 5(1)]

लोक न्यासों के पंजीयक, आगर, जिला आगर-मालवा के समक्ष

आवेदक प्रेमनारायण पिता रामसहाय शर्मा, अध्यक्ष, ब्राह्मण समाज सेवा न्यास, आगर, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (मध्यप्रदेश) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में ब्राह्मण समाज सेवा न्यास, आगर, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (मध्यप्रदेश) में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 30 जून, 2017 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जायेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखे हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तितः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम : ब्राह्मण समाज सेवा न्यास, आगर, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (मध्यप्रदेश) में चल सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य रुपये-31,321.00 नगदी (अक्षरी रूपये इक्तीस हजार, तीन सौ इक्कीस मात्र)।

मिलिंद ढोके,
पंजीयक।

(1826)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर

प्र.क्र. बी-113/2005-06.

जारी, दिनांक 05 जून, 2017

प्रास्तुप-तृतीय

(नियम पाँच 1 देखिए)

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अंतर्गत)

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यहकि श्री प्रभाकर पिता शंकर गारकर, निवासी खण्डवा हाल शिकारपुरा, तहसील एवं जिला बुरहानपुर ने “श्री कोष्ठी समाज शिकारपुरा, बुरहानपुर” का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये “लोक न्यास” के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 02 सितम्बर, 2016 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तितः अथवा

स्त्रीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता, सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता	:	श्री कोष्ठी समाज, शिकारपुरा, तहसील एवं ज़िला बुरहानपुर.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 19,000/- ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक, बुरहानपुर में.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

सोहन कनाश,
पंजीयक.

(1827)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट (ग्रामीण), रतलाम

क्र. 05/बी-113(1)/2016-17.

रतलाम, दिनांक 12 जून, 2017

[फार्म-4 नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4(2) के तहत]

क्र. 153/आर-3/2016-17.—आवेदक महेन्द्र प्रतापसिंह सुन्देचा पिता स्व. श्री कनकमलजी सुन्देजा, निवासी 09, जवाहर मार्ग, बदनावर, ज़िला धार एवं अन्य के द्वारा म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत “ग्राम उमरण में आदिनाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट, तह. रतलाम” के पंजीयन हेतु एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रुचि हो अथवा आपत्ति हो, तो प्रकरण में नियत दिनांक 12 जुलाई, 2017 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11 बजे नियत दिनांक को उपस्थित होवें। निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यासी का पूरा नाम	:	“आदिनाथ जैन श्वेताम्बर मंदिर ट्रस्ट, उमरण”
अचल संपत्ति	:	मंदिर ग्राम उमरण में आबादी क्षेत्र में 30 फीट बाय 50 फीट में पुराना मंदिर।
चल संपत्ति	:	निरंक.

संलग्न : अनुसूची अ एवं ब.

नेहा भारतीय,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

(1830)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, बण्डा, ज़िला सागर

प्र. क्र. बी-113(1)/वर्ष 2015-16.

बण्डा, दिनांक 30 मई, 2017

मौजा-सिंग्रावन, तह. बण्डा

1. अमितकुमार जैन पिता भागचंद जैन
निवासी सेमरा हजारी, तह. पथरिया, ज़िला दमोह.
आवेदक
2. म.प्र. शासन
विरुद्ध

क्र./क/ /रीडर-1/2017.—सर्व-साधारण को इश्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक अमितकुमार जैन पिता भागचंद जैन, निवासी सेमरा हजारी, तह. पथरिया, ज़िला दमोह के द्वारा मौजा सिंग्रावन प.ह.नं. 65, तहसील बण्डा, ज़िला सागर में स्थित श्री पारसनाथ जी मंदिर, व्यवस्थापक, पुजारी शिवप्रसाद, भैयालाल एवं कन्छेदी, प्रबंधक, कलेक्टर महोदय, सागर के नाम खसरा नं. 68, रकबा क्रमशः 1.28 दर्ज है।

आवेदक द्वारा पूर्व मुहत्तमकार शिवप्रसाद, भैयालाल एवं कन्धेदी, सा. सिंग्रावन, तह. बण्डा की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप आवेदक द्वारा राकेश पिता दीपचंद, निवासी सेमरा हजारी को मुहत्तमकार दर्ज किए जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

आवेदन पर तहसीलदार, बण्डा से प्रतिवेदन लिया गया उन्होंने अपने प्रतिवेदन दिनांक 15 मार्च, 2017 में लेख किया है कि मौजा सिंग्रावन स्थित भूमि ख.नं. 68, रकबा 1.28 स्थित श्री पारसनाथ जी मंदिर की व्यावस्थापन पूजा अर्चना पुजारी राकेश कुमार पिता दीपचंद कर रहे हैं तथा उन्हें ही मंदिर व्यवस्थापक नियुक्त किया जाना प्रस्तावित किया गया था।

अतः आवेदक राकेश पिता दीपचंद, निवासी सेमरा हजारी को मुहत्तमकार नियुक्त किए जाने में जिस किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति समक्ष में पेशी दिनांक 19 जुलाई, 2017 को स्वयं अथवा अपने वैद्य प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। बाद म्याद गुजरने पर आपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाएगा।

इश्तहार भेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी।

जारी दिनांक 30 मई, 2017, पेशी दिनांक 19 जुलाई, 2017.

(1828)

बी. बी. पाण्डेय,
अनुविभागीय अधिकारी।

अन्य सूचनाएं

कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, ग्वालियर

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र अंगीकरण के प्रकाशन की सूचना

ग्वालियर निवेश क्षेत्र की सीमा वृद्धि में सम्मिलित अनुसूची में विनिर्दिष्ट गांवों के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 धारा-15 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2017 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, समस्त ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत किये हैं, अपेक्षित विचारण उसमें किया गया है।

अतः उपरोक्त ग्वालियर निवेश क्षेत्र की सीमा वृद्धि के अनुसूची में विनिर्दिष्ट गांवों के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (3) के अधीन एतद्वारा अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 23 जून, 2017 से दिनांक 30 जून, 2017 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु कार्यालय में उपलब्ध रहेगी।

अनुसूची

1. छौंदा	2. सातऊ	3. खिरिया कछाई	4. नोनेरा
5. सिकरोदी	6. कुशराजपुर	7. पुरासानी	8. तिलेशा
9. बड़ौरी	10. नागौर	11. डॉग सरकार	12. लोडरा
13. अडूपुरा	14. अलीनगर	15. रबार	16. रोरा
17. बस्तरी	18. रमौआ	19. सौसा	20. बंधौली
21. उदयपुरा	22. हिरी	23. सिंघारपुरा	24. सुनारपुरा
25. गणेशपुरा	26. बनारपुरा	27. धनेली	28. वीरमपुर
29. सूरे	30. चंद्रपुरा	31. करिगवां खुर्द	32. पिपरौली

(1829)

द्वी. के. शर्मा,
संयुक्त संचालक
वास्ते-संचालक।

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, जिला सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत]

महिला दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति, लखनवाह, पंजी. क्रमांक 635, दिनांक 23 नवम्बर, 2010 है को कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1241, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 से परिसमाप्ताधीन किया जाकर परिसमाप्क नियुक्त किया गया था।

संस्था की आम सभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है एवं परिसमाप्क द्वारा उसकी अनुशंसा

भी की गयी है। अतः सहकारिता के सिद्धांतों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेचित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्य के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./1241, दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, लखनवाह (पंजी. क्रमांक 635, दिनांक 23 नवम्बर, 2010) को पुनर्जीवित करता हूँ। साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु 90 दिवस के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को नामांकित करता हूँ-

1. श्रीमती वृष्णराज सिंह	अध्यक्ष	6. श्रीमती शकुन्तला गौतम	सदस्य
2. श्रीमती पुष्पलता सिंह	सदस्य	7. श्रीमती आशा यादव	सदस्य
3. श्रीमती विद्या सिंह	सदस्य	8. श्रीमती ममता प्रजापति	सदस्य
4. श्रीमती पुष्पा सिंह	सदस्य	9. श्रीमती मुनी यादव	सदस्य
5. श्रीमती कलावती यादव	सदस्य		

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1831)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/1207, सतना, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा रसायनिक खाद क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., बण्डी, विकासखण्ड नागौद, जिला सतना को परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

संस्था के परिसमापक श्री गेहचन्द पटेल, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1799-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये रसायनिक खाद क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., बण्डी, विकासखण्ड नागौद, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 539, दिनांक 28 जुलाई, 2007 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1831-A)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/1233, सतना, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा हनुमान प्राथमिक सह. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., बेलहटा, विकासखण्ड सोहावल, जिला सतना को परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

संस्था के परिसमापक श्री गेहचन्द पटेल, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1799-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये हनुमान प्राथमिक सह. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., बेलहटा, विकासखण्ड सोहावल, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 306, दिनांक 03 अप्रैल, 1995 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1831-B)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/1230, सतना, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा गंगा प्राथमिक सह. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., बरहा, विकासखण्ड सोहावल, जिला सतना को परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

संस्था के परिसमापक श्री गेहचन्द पटेल, सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1799-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये गंगा प्राथमिक सह. उप. भण्डार सहकारी समिति मर्या., बरहा, विकासखण्ड सोहावल, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 296, दिनांक 04 सितम्बर, 1998 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 27 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1831-C)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/1223, सतना, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., इटहा खोखरा, विकासखण्ड उचेहरा, जिला सतना को परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

संस्था के परिसमापक श्री एन. पी. शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1799-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., इटहा खोखरा, विकासखण्ड उचेहरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 477, दिनांक 12 मार्च, 2004 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 03 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1831-D)

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/1219, सतना, दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पपरेंगा, विकासखण्ड उचेहरा, जिला सतना को परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने के लिये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

संस्था के परिसमापक श्री एन. पी. शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, सतना, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1799-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पपरेंगा, विकासखण्ड उचेहरा, जिला सतना, पंजीयन क्रमांक 474, दिनांक 06 मार्च, 2004 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 03 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

नरेश सिन्हा,
उप-पंजीयक।

(1831-E)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 08 जून, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घाड़ेर

क्र./परि./2017-18/986.-यहकि दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घाड़ेर, पंजीयन क्र./एआर/एम.एन.ए/811, दिनांक 27 जनवरी, 1989

जिसे आगे संस्था कहा गया है के संबंध में निम्नानुसार आरोप हैं—

1. संस्था द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन नहीं कराया है.
2. संस्था ने कार्य करना बंद कर दिया है.
3. संस्था केवल व्यक्ति विशेष या समूह शेष के हित संबंध के लिये कार्य करती है तथा साधारण समस्त सदस्यों के हित संबंधन के लिये कार्य नहीं करती है.
4. संस्था द्वारा अंकेक्षण कार्य नहीं कराया जा रहा है. वित्तीय पत्रक पंजीयक को नहीं भेजे जा रहे हैं.
5. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम तथा संस्था की उपविधि का पालन करना बंद कर दिया है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे प्राप्त हैं का उपयोग करते हुये मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना यह कारण बताओ सूचना-पत्र के जरिये सूचित करता हूँ कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.

इस बाबत में दिनांक 10 जुलाई, 2017 को लिखित उत्तर प्रस्तुत करें निर्धारित अवधि में उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो यह मानकर कि इस संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उक्त आरोप आपको स्वीकार है. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

सी. पी. एस. भदौरिया,
उप-पंजीयक.

(1832)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड

भिण्ड, दिनांक 18 मई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक एवं प्रभारी अधिकारी,
राहुल प्रा. उप. सहकारी भण्डार संस्था मर्या., मिहोना.

क्र./परि./2017/584.—राहुल प्रा. उप. सहकारी भण्डार संस्था मर्या., मिहोना, जिला भिण्ड के द्वारा संस्था का निर्वाचन न कराने से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा गत वर्षों से कार्य करना बन्द कर दिया है व आर्थिक रूप से भी अक्षम है. अतः संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है।—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है.
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं लें रहे हैं.
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है.
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया है.
6. संस्था संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
7. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत आमसभा का आयोजन नहीं किया है.
8. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु वित्तीय पत्रक समय पर प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं.

अतः उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है. अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्त युक्त पूर्ण उत्तर दिनांक 18 जून, 2017 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित एवं मौखिक कथन प्रस्तुत करें. संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1833)

भिण्ड, दिनांक 18 मई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक एवं प्रभारी अधिकारी,

नेहा प्रा. उप. सहकारी भण्डार संस्था मर्या., मेहगाँव.

क्र./परि./2017/585.—नेहा प्रा. उप. सहकारी भण्डार संस्था मर्या., मेहगाँव, जिला भिण्ड के द्वारा संस्था का निर्वाचन न कराने से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा गत वर्षों से कार्य करना बन्द कर दिया है व आर्थिक रूप से भी अक्षम है। अतः संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है।
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है।
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया है।
6. संस्था संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
7. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आमसभा का आयोजन नहीं किया है।
8. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु वित्तीय पत्रक समय पर प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं।

अतः उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्त युक्त पूर्ण उत्तर दिनांक 18 जून, 2017 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित एवं मौखिक कथन प्रस्तुत करें। संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1833-A)

भिण्ड, दिनांक 18 मई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक एवं प्रभारी अधिकारी,

जयेश्वर प्रा. उप. सहकारी भण्डार संस्था मर्या., मेहगाँव.

क्र./परि./2017/586.—जयेश्वर प्रा. उप. सहकारी भण्डार संस्था मर्या., मेहगाँव, जिला भिण्ड के द्वारा संस्था का निर्वाचन न कराने से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा गत वर्षों से कार्य करना बन्द कर दिया है व आर्थिक रूप से भी अक्षम है। अतः संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है।
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है।
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया है।
6. संस्था संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
7. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आमसभा का आयोजन नहीं किया है।
8. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु वित्तीय पत्रक समय पर प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं।

अतः उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्त युक्त पूर्ण उत्तर दिनांक 18 जून, 2017 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित एवं मौखिक कथन प्रस्तुत करें। संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1833-B)

भिण्ड, दिनांक 18 मई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,
महाकाल प्रा. उप. सहकारी भण्डार संस्था मर्या., गोहद.

क्र./परि./2017/587.—महाकाल प्रा. उप. सहकारी भण्डार संस्था मर्या., गोहद, जिला भिण्ड के द्वारा संस्था का निर्वाचन न कराने से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा गत वर्षों से कार्य करना बन्द कर दिया है व आर्थिक रूप से भी अक्षम है। अतः संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है।—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है।
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है।
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया है।
6. संस्था संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
7. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत आमसभा का आयोजन नहीं किया है।
8. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु वित्तीय पत्रक समय पर प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं।

अतः उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्त युक्त पूर्ण उत्तर दिनांक 18 जून, 2017 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित एवं मौखिक कथन प्रस्तुत करें। संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1833-C)

भिण्ड, दिनांक 18 मई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रबंधक,
महारानी लक्ष्मीबाई प्रा. उप. सहकारी भण्डार संस्था मर्या., मिहोना.

क्र./परि./2017/588.—महारानी लक्ष्मीबाई प्रा. उप. सहकारी भण्डार संस्था मर्या., मिहोना, जिला भिण्ड के द्वारा संस्था का निर्वाचन न कराने से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा गत वर्षों से कार्य करना बन्द कर दिया है व आर्थिक रूप से भी अक्षम है। अतः संस्था को निम्न कारणों से

परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है।—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है।
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है।
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया है।
6. संस्था संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
7. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आमसभा का आयोजन नहीं किया है।
8. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु वित्तीय पत्रक समय पर प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं।

अतः उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्त युक्त पूर्ण उत्तर दिनांक 18 जून, 2017 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित एवं मौखिक कथन प्रस्तुत करें। संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1833-D)

भिण्ड, दिनांक 18 मई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक एवं प्रभारी अधिकारी,

ऊषा किरण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड।

क्र./परि./2017/589.—ऊषा किरण गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भिण्ड, जिला भिण्ड के द्वारा संस्था का निर्वाचन न कराने से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा गत वर्षों से कार्य करना बन्द कर दिया है व आर्थिक रूप से भी अक्षम है। अतः संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है।—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है।
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है।
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया है।
6. संस्था संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
7. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आमसभा का आयोजन नहीं किया है।
8. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु वित्तीय पत्रक समय पर प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं।

अतः उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्त युक्त पूर्ण उत्तर दिनांक 18 जून, 2017 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित एवं मौखिक कथन प्रस्तुत करें। संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1833-E)

भिण्ड, दिनांक 18 मई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक एवं प्रभारी अधिकारी,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गणेशपुरा.

क्र./परि./2017/590.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गणेशपुरा, जिला भिण्ड के द्वारा संस्था का निर्वाचन न कराने से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा गत वर्षों से कार्य करना बन्द कर दिया है व आर्थिक रूप से भी अक्षम है। अतः संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है।
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है।
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया है।
6. संस्था संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
7. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आमसभा का आयोजन नहीं किया है।
8. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु वित्तीय पत्रक समय पर प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं।

अतः उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्त युक्त पूर्ण उत्तर दिनांक 18 जून, 2017 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित एवं मौखिक कथन प्रस्तुत करें। संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1833-F)

भिण्ड, दिनांक 18 मई, 2017

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अधीन]

प्रति,

प्रभारी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेंथरी।

क्र./परि./2017/591.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सेंथरी, जिला भिण्ड के द्वारा संस्था का निर्वाचन न कराने से स्पष्ट है कि संस्था द्वारा गत वर्षों से कार्य करना बन्द कर दिया है व आर्थिक रूप से भी अक्षम है। अतः संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है।
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है।
5. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उपनियमों की शर्तों का अनुपालन बन्द कर दिया है।
6. संस्था संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
7. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (5) के तहत् आमसभा का आयोजन नहीं किया है।
8. संस्था द्वारा अंकेक्षण हेतु वित्तीय पत्रक समय पर प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं।

अतः उक्त कारणों से मेरी राय में सोसायटी का परिसमापन कर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बबलू सातनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको यह अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में युक्त युक्त पूर्ण उत्तर दिनांक 18 जून, 2017 तक कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित एवं मौखिक कथन प्रस्तुत करें। संस्था की ओर से निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तो प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 मई, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

बबलू सातनकर,
उप-पंजीयक।

(1833-G)

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थायें, सागर, संभाग सागर

सागर, दिनांक 08 जून, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 “क” के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2017/623.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (संशोधन) अधिनियम, 2012 के अनुसार धारा-9 “क” का स्थापन होने पर उक्त धारा के अनुसार मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (निरसित) के अंतर्गत सागर जिले की रजिस्ट्रीकृत सहकारिताओं का सम्परिवर्तन संलग्न सूची अनुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत किया गया है।

सहकारिता द्वारा अपने पंजीयन दिनांक से मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (निरसित) में दी गई व्यवस्था अनुसार किसी भी तरह के अभिलेख या विवरणिकाएं कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई हैं। न ही किसी तरह का कार्य सहकारिता द्वारा किया गया। इससे स्पष्ट है कि संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रही है।

कार्यालयीन आदेश के द्वारा इस कार्यालय के द्वारा संस्था के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत स्वयंमेव रजिस्ट्रीकरण की कार्यवाही की जाकर 15 दिवस के अंतर्गत संशोधित उपविधियां रजिस्ट्रीकृत कराने बावत् निर्देशित किया गया। परन्तु किसी भी संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में नई उपविधियां रजिस्ट्रीकरण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत संस्था चूंकि अपने दायित्वों के निर्वहन में असफल रही है। अतः मैं, पी. एस. तिवारी, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, संभाग सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 “क” के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सूचना जारी करता हूँ कि क्यों न संस्था का पंजीयन निरस्त कर दिया जाए।

इस संबंध में कोई भी आपत्ति सूचना जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, सागर में दोपहर 12 से 2.00 तक प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त अवधि में कोई दावा/आपत्ति प्राप्त न होने पर संस्थाओं के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

सूची

1. जिला ग्रामीण विकास अलप बचत स्वायत्त सहकारिता मर्या., सागर, पंजीयन क्र. 01, दिनांक 19 फरवरी, 2002.
2. सागर कृषि उद्योग स्वायत्त सहकारिता मर्या., सागर, पंजीयन क्र. 02, दिनांक 13 अगस्त, 2002.
3. जयहिन्द मुद्रण एवं लेखन सामग्री क्रय-विक्रय स्वायत्त सहकारिता मर्या., सागर, पंजीयन क्र. 03, दिनांक 13 अगस्त, 2002.
4. कृषक कल्याण स्वायत्त सहकारिता मर्या., शाहगढ़, पंजीयन क्र. 04, दिनांक 09 अक्टूबर, 2002.
5. सृजन बीज उत्पादक एवं कृषि विकास स्वायत्त सहकारिता मर्या., देवरी, पंजीयन क्र. 05, दिनांक 27 जनवरी, 2003.
6. तारण तरण क्रय-विक्रय स्वायत्त सहकारिता मर्या., सागर, पंजीयन क्र. 06, दिनांक 30 मई, 2003.
7. कामधेनु दुर्घ स्वायत्त सहकारिता मर्या., सागर, पंजीयन क्र. 07, दिनांक 30 मई, 2003.
8. भाग्योदय किसान स्वायत्त सहकारिता मर्या., बण्डा, पंजीयन क्र. 08, दिनांक 16 सितम्बर, 2003.
9. इन्साफ बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता मर्या., शाहगढ़, पंजीयन क्र. 09, दिनांक 16 सितम्बर, 2003.

10. छत्रपति उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., सुभाष नगर वार्ड, सागर, पंजीयन क्र. 10, दिनांक 23 फरवरी, 2004.
11. रजनीगंधा उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., केन्ट 05, सागर, पंजीयन क्र. 11, दिनांक 24 मार्च, 2004.
12. ऋषिता उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., सागर, पंजीयन क्र. 12, दिनांक 08 अप्रैल, 2004.
13. शिवा उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., केन्ट 03, सागर, पंजीयन क्र. 13, दिनांक 08 अप्रैल, 2004.
14. स्वाति उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., केन्ट 04, सागर, पंजीयन क्र. 14, दिनांक 08 अप्रैल, 2004.
15. संस्कार कृषक विकास स्वायत्त सहकारिता मर्या., बमाना, पंजीयन क्र. 15, दिनांक 08 अप्रैल, 2004.
16. अन्नपूर्णा कृषक विकास स्वायत्त सहकारिता मर्या., हनुमान टोरा, पंजीयन क्र. 16, दिनांक 08 अप्रैल, 2004.
17. सागर उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., तिली वार्ड, सागर, पंजीयन क्र. 17, दिनांक 28 मई, 2004.
18. जनता उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., सागर, पंजीयन क्र. 18, दिनांक 28 मई, 2004.
19. जय शंकर स्वायत्त सहकारिता मर्या., बीना, पंजीयन क्र. 19, दिनांक 11 जून, 2004.
20. नवीन उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., सागर, पंजीयन क्र. 20, दिनांक 11 जून, 2004.
21. अपूर्व बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता मर्या., पटनाबुजुर्ग, पंजीयन क्र. 21, दिनांक 09 जुलाई, 2004.
22. वरदान बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता मर्या., बण्डा, पंजीयन क्र. 22, दिनांक 09 जुलाई, 2004.
23. सद्गुरुदेव उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., बण्डा, पंजीयन क्र. 23, दिनांक 09 जुलाई, 2004.
24. बालाजी उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., बीना, पंजीयन क्र. 25, दिनांक 19 जुलाई, 2004.
25. भागवती बाई उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., बीना, पंजीयन क्र. 26, दिनांक 12 अगस्त, 2004.
26. पंचमढ़ी उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., बण्डा, पंजीयन क्र. 27, दिनांक 12 अगस्त, 2004.
27. हरीहर उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., बण्डा, पंजीयन क्र. 28, दिनांक 12 अगस्त, 2004.
28. राशि उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., वसाहरी, पंजीयन क्र. 29, दिनांक 12 अगस्त, 2004.
29. दीनदयाल उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., बीना, पंजीयन क्र. 30, दिनांक 12 अगस्त, 2004.
30. आदर्श उपभोक्ता बचत स्वायत्त सहकारिता मर्या., बण्डा, पंजीयन क्र. 31, दिनांक 18 अगस्त, 2004.
31. पूजा उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., बण्डा, पंजीयन क्र. 32, दिनांक 19 अगस्त, 2004.
32. माँ गायत्री उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., बण्डा, पंजीयन क्र. 34, दिनांक 20 अगस्त, 2004.
33. कर्मा बाई उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., सागर, पंजीयन क्र. 33, दिनांक 19 अगस्त, 2004.
34. ज्ञानभारती उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., बण्डा, पंजीयन क्र. 35, दिनांक 20 अगस्त, 2004.
35. सरस्वती महिला उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., बीना, पंजीयन क्र. 36, दिनांक 08 सितम्बर, 2004.
36. मिलन उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., बण्डा, पंजीयन क्र. 37, दिनांक 23 सितम्बर, 2004.
37. उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., सागर, पंजीयन क्र. 38, दिनांक 24 सितम्बर, 2004.
38. बांके बिहारी महिला उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., बण्डा, पंजीयन क्र. 39, दिनांक 08 फरवरी, 2005.
39. टैगोर उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., भगतसिंह वार्ड, गढ़कोटा, पंजीयन क्र. 40, दिनांक 25 फरवरी, 2005.
40. राघव उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., हिनौता सहावन, पंजीयन क्र. 41, दिनांक 17 मार्च, 2005.
41. शिव उपभोक्ता स्वायत्त सहकारिता मर्या., भगतसिंह वार्ड, सागर, पंजीयन क्र. 42, दिनांक 07 नवम्बर, 2007.
42. ऊर्जा कर्मचारी साख अल्पबचत स्वायत्त सहकारिता मर्या., मकरोनिया, सागर, पंजीयन क्र. 43, दिनांक 04 मार्च, 2008.

यह सूचना आज दिनांक 08 जून, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

पी. एम. तिवारी,
संयुक्त पंजीयक.

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, खरगौन

परिशिष्ट क्रमांक-10 (भाग-2) चराई प्रतिबंधित क्षेत्र घांस बीड़ की सूची

समस्त पशु-स्वामियों एवं चरवाहों को सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि खरगौन वनमंडल के इन वनक्षेत्रों में 1 जुलाई, 2017 से आगामी आदेश तक पशु चराते पाये जायेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी:-

अ. क्र.	परिक्षेत्र का नाम	चराई से बन्ध क्षेत्र	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5 (हेक्टेयर में)
1.	चिरीया	1. घांस बीड़, इरपुर	524	33.993
	भीकनगांव	2. घांस बीड़ टेमला भाग-1	531	23.88
	भीकनगांव	3. घांस बीड़ टेमला भाग-2	531	23.88
	चिरीया	4. घांस बीड़ सेमल्यामाल	540	40.47
	चिरीया	5. घांस बीड़, बादरखां	540	59.49
	भीकनगांव	6. घांस बीड़, सागटियामाल	543	71.63
		7. घांस बीड़, खेरदा रोशिया भाग-1	549	125.86
		8. घांस बीड़, खेरदा रोशिया भाग-2	549	125.86
		9. घांस बीड़, गाडरियामाल भाग-1 व 2	557	93.08
		10. घांस बीड़, मेहरचंदवाली सुतार कुंडिया नीमदगड	617,618	118.57
		11. घांस बीड़ मबीवाली	621	21.85
		12. घांस बीड़ काकडवाली	623	15.78
		13. घांस बीड़ सादडवाली	630	8.50
		14. घांस बीड़ अंजनबैडी	623	17.40
		15. घांस बीड़ सागटियामाल	561	118.17
		16. घांस बीड़ पेमावाली	623	15.38
		17. घांस बीड़ लंगडीबैडी	623	14.57
		18. घांस बीड़ शिकारिया	623	15.38
2.	कसरावद	19. घांस बीड़ मुराला भाग-1	631	30.42
		20. घांस बीड़ मुराला भाग-2	631	29.95
		21. घांस बीड़ चकरिया भाग-1	648	21.45
		22. घांस बीड़ चकरिया भाग-2	648	22.26
		23. घांस बीड़ चंदनपुरी	652	111.69
3.	खरगौन	24. घांस बीड़ मेहरघट्टी भाग-1	659	38.44
		25. घांस बीड़ मेहरघट्टी भाग-2	659	35.18
4.	कसरावद	26. घांस बीड़ नारायणपुरा भाग-1	672	82.04
		27. घांस बीड़ नारायणपुरा भाग-1	672,670	63.13
		28. घांस बीड़ बारदेवला	671 से 673	80.13
		29. घांस बीड़ सातपिपरी	691	31.88

चराई से प्रतिबंधित क्षेत्रों की सूची वनमंडल सामान्य, खरगौन

समस्त पशु-स्वामियों एवं चरवाहों को सूचनार्थ यह प्रकाशित किया जाता है कि खरगौन वनमंडल के इन वनक्षेत्रों में 1 जुलाई, 2017 से आगामी आदेश तक पशु चराते पाये जायेंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी:-

अ. क्र.	परिक्षेत्र का नाम	चराई से बन्ध क्षेत्र	कक्ष क्रमांक		क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
			1	2	
वर्ष 2013					
1.	बरुड़	बिगड़े वनों का सुधार	जलालाबाद	403	50.000
2.	बरुड़	बिगड़े वनों का सुधार	लिपनी	439	175.000
3.	बरुड़	बिगड़े वनों का सुधार	नांगलवाडी	1156	150.000
4.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	झापडीमली	1095	125.000
5.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	अनेर	569	70.000
6.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	मालखेड़ा	571	80.000
7.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	करणडाबरा	1107	100.000
8.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	खोखरअम्बा	1126	80.000
9.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	भुलवान्या	474	99.000
10.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	चमोली	483	143.000
11.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	गुजरबावडी	491	50.000
12.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	रूपगढ़	505	60.000
13.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	कड़वापानी	533	105.000
14.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	धरमपुरी	613	125.000
15.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	लाहोरपानी	649	50.000
16.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	जामली	662	60.000
17.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	मेंडागढ़	673	50.000
18.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	झाड़ी	683	50.000
19.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	रातली	923	40.000
20.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बोंद्रानिया	909	110.000
21.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	सेमलखूंट	759	40.000
22.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	सुलाबेडी	862	30.000
23.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	सुलाबेडी	855	30.000
24.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	हरणकुंडिया (उ.)	802	30.000
25.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	हरणकुंडिया (उ.)	805	30.000
26.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	हरणकुंडिया (उ.)	830	30.000
27.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारगाह विकास	नागझिरी	1082	80.000
28.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारगाह विकास	ऊन	1083	80.000
29.	बरुड़	ऊर्जावन एवं चारगाह विकास	महादेवपड़ावा	420	50.000
30.	बरुड़	ऊर्जावन एवं चारगाह विकास	जलालाबाद	434	80.000
31.	बरुड़	ऊर्जावन एवं चारगाह विकास	बीजागढ़	406	80.000

1	2	3	4	5
			(हेक्टेयर में)	
32.	बरुड़	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	देवनल्या	445 20.000
33.	बरुड़	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	सेमल्यापडावा	457 105.000
35.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	मोहनपुरा	1089 100.000
36.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	झामटा	1127 150.000
37.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	रूपगढ़	511 70.000
38.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	सिरवेल	1104 80.000
39.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	झामटा	1125 100.000
40.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	सिरवेल	1100 60.000
41.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	मोहनपुरा	1085 80.000
42.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	झामटा	1120 70.000
43.	बिस्टान	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	काबरी	466 141.000
44.	बिस्टान	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	पिपलझोपा	628 140.000
45.	बिस्टान	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	देवझिरी	642 50.000
46.	बिस्टान	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	जामुनपाटी	700 60.000
47.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	मुराला	1021 80.000
48.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	मुलठान	1031 80.000
49.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	चंदनपुरी	1036 50.000
50.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	सावदा	1054 60.000
51.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	चिचलाय	1048 63.000
52.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	डोलानी	1067 40.000
53.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	पाडल्या	1006 30.000
54.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	रतनपुर	1014 30.000
55.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	पोखर बुजुर्ग	989 40.000
56.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	रोड़िया	999 50.000
57.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	कांझर कपासी	967 50.000
58.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	पत्थरवाडा	974 30.000
59.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	पिपल्या	951 90.000
60.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	सुन्द्रेल	963 50.000
61.	भीकनगांव	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	पत्थरवाडा	973 50.000
62.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	घोड़ी खुर्द	710 40.000
63.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	सपटिया	728 50.000
64.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	मांडवा	740 40.000
65.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	चिरीया	732 30.000
66.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	नहालदरी	894 50.000
67.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	अम्बाडोचर	938 50.000
68.	चिरीया	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	बेरछा	947 100.000

1	2	3	4	5
			(हेक्टेयर में)	
69.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारगाह विकास	नहालदरी	763 70.000
70.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारगाह विकास	बोरवाल	772 50.000
71.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारगाह विकास	बोरवाल	887 30.000
72.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारगाह विकास	मांडवाभट्टी	906 30.000
73.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारगाह विकास	गाडग्याम	850 30.000
73.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारगाह विकास	रायलबेडा	787 50.000
74.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारगाह विकास	पीढ़ी	797 40.000
75.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारगाह विकास	बोरवाल	768 30.000
76.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारगाह विकास	बोरवाल	778 50.000
77.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारगाह विकास	रायलबेडा	785 50.000
78.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारगाह विकास	पीढ़ी	796 25.000
79.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारगाह विकास	मांडवाभट्टी	882 30.000
80.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारगाह विकास	गाडग्याम	848 50.000
81.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारगाह विकास	बोरवाल	768 70.000
82.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारगाह विकास	रायलबेडा	785 80.000

वर्ष 2014

1.	कसरावद	मिश्रित वृक्षारोपण	उमरदड़	1027 70.000
2.	कसरावद	मिश्रित वृक्षारोपण	गवला	1060 40.000
3.	बिस्टान	मिश्रित वृक्षारोपण	तलघर	642 30.000
4.	चिरीया	मिश्रित वृक्षारोपण	चिरीया	745 50.000
5.	बिस्टान	बांस रोपण	चरीपुरा	460 50.000
6.	सिरवेल	बांस रोपण	सिरवेल	569 50.000
7.	सिरवेल	बांस रोपण	सिरवेल	545 50.000
8.	सिरवेल	बांस रोपण	सिरवेल	545 40.000
9.	बरुड़	बिगड़े बनों का सुधार	जलालाबाद	411 100.000
10.	बरुड़	बिगड़े बनों का सुधार	लिपनी	440 80.000
11.	बरुड़	बिगड़े बनों का सुधार	नांगलवाडी	1157 75.000
12.	सिरवेल	बिगड़े बनों का सुधार	करणडाबरा	1107 25.000
13.	सिरवेल	बिगड़े बनों का सुधार	मालखेड़ा	585 30.000
14.	सिरवेल	बिगड़े बनों का सुधार	खोखरअम्बा	1126 50.000
15.	सिरवेल	बिगड़े बनों का सुधार	अनेर	553 60.000
16.	सिरवेल	बिगड़े बनों का सुधार	झापडीमली	1095 50.000
17.	बिस्टान	बिगड़े बनों का सुधार	लाहोरपानी	650 30.000
18.	बिस्टान	बिगड़े बनों का सुधार	जामली	662 60.000
19.	बिस्टान	बिगड़े बनों का सुधार	गुजरबावडी	492 100.000
20.	बिस्टान	बिगड़े बनों का सुधार	कडवापानी	533 60.000
21.	बिस्टान	बिगड़े बनों का सुधार	रुपगढ़	514 90.000

1	2	3	4	5
			(हेक्टेयर में)	
22.	बिस्टान	बिगड़े बनों का सुधार	धरमपुरी	616
23.	बिस्टान	बिगड़े बनों का सुधार	मेंडामढ	673
24.	बिस्टान	बिगड़े बनों का सुधार	झगडी	684
25.	बिस्टान	बिगड़े बनों का सुधार	भुलवान्या	475
36.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	नागद्वारी	1038
37.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	ऊन	1084
38.	बरुड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	महादेवपडावा	421
39.	बरुड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	जलालाबाद	1135
40.	बरुड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बीजागढ़	408
41.	बरुड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	आमल्यापानी	1147
42.	बरुड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	देवनल्या	447
43.	बरुड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सेमल्यापडावा	458
44.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रूपगढ़	512
45.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मोहनपुरा	1090
46.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पलासखूंट	570
47.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सिरवेल	1105
48.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	कुम्हारबेडी	586
49.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	झामटा	1128
50.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	काबरी	467
51.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पीपलझोपा	629
52.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	देवझिरी	644
53.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	जामुनपाटी	700
54.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चंदनपुरी	1050
55.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सावदा	1054
56.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चिचलाय	1049
57.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	डोलानी	1067
58.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मुगला	1021
59.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मुलठान	1031
60.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रोड़िया	1000
61.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पोखर बुजुर्ग	992
62.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पत्थरवाडा	975
63.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	कांझर कपासी	968
64.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सुन्द्रेल	961
65.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पोखर खुर्द	988
66.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सपाटिया	729
67.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मांडवा	745
68.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चिरीया	747

1	2	3	4	5
			(हेक्टेयर में)	
69.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बेरछा	947 50.000
70.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	घोड़ी खुर्द	711 50.000
71.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मोरदड	722 25.000
72.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	घोड़ी खुर्द	709 100.000
73.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चौपाली	773 50.000
74.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बोरवाल	888 15.000
75.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पलासपानी	877 15.000
76.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सतापिपरी	852 30.000
77.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	गुवाडा	787 40.000
78.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	धुपा	788 30.000
79.	बिस्ट्यन	नदी तट प्रबंधन वृत्त	कुन्दा	605 50.000
80.	सिरवेल	नदी तट प्रबंधन वृत्त	अनेर	1093 60.000

वर्ष 2015

1.	भीकनगांव	मिश्रित वृक्षारोपण	1002	50.000
2.	चिरीया	मिश्रित वृक्षारोपण	915	50.000
3.	चिरीया	मिश्रित वृक्षारोपण	734	50.000
4.	खरगोन	मिश्रित वृक्षारोपण	1042	25.000
5.	कसरावद	मिश्रित वृक्षारोपण	1057	50.000
6.	बिस्ट्यन	बांस रोपण	657	100.000
7.	सिरवेल	बांस रोपण	598	25.000
8.	सिरवेल	बांस रोपण	579	50.000
9.	भीकनगांव	बांस रोपण	1009	50.000
10.	बरुड़	बिगड़े वनों का सुधार	जलालाबाद	411 100.000
11.	बरुड़	बिगड़े वनों का सुधार	लिपनी	440 60.000
12.	बरुड़	बिगड़े वनों का सुधार	नांगलवाडी	1157 100.000
13.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	झापडीमली	1096 30.000
14.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	अनेर	553 30.000
15.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	मालखेडा	585 30.000
16.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	करणडाबरा	1110 20.000
17.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	खोअरअम्बा	1130 30.000
18.	बिस्ट्यन	बिगड़े वनों का सुधार	भुलवान्या	475 60.000
19.	बिस्ट्यन	बिगड़े वनों का सुधार	चमोली	485 50.000
20.	बिस्ट्यन	बिगड़े वनों का सुधार	गुजरबावडी	492 40.000
21.	बिस्ट्यन	बिगड़े वनों का सुधार	रूपगढ़	515 60.000
22.	बिस्ट्यन	बिगड़े वनों का सुधार	कडवापानी	536 80.000
23.	बिस्ट्यन	बिगड़े वनों का सुधार	धरमपुरी	617 40.000

1	2	3	4	5
			(हेक्टेयर में)	
24.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	लाहोरपानी	650 30.000
25.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	जामली	663 60.000
26.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	चमोली	484 95.000
27.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बड़ी	928 40.000
28.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	रातली	923 90.000
29.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बोन्नानिया	910 120.000
30.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	सेमलखूंट	760 150.000
31.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	पलासपानी	863 30.000
32.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	गाड़ग्याम	857 30.000
33.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	सातताली	802 30.000
34.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	मलगांव	806 30.000
35.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	बोरवाल	833 30.000
36.	खरगौन	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	नागझिरी	1038 120.000
37.	खरगौन	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	ऊन	1084 80.000
38.	बरुड़	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	महादेवपडावा	421 40.000
39.	बरुड़	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	जलालाबाद	1135 90.000
40.	बरुड़	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	बीजागढ़	408 75.000
41.	बरुड़	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	आमल्यापानी	1147 100.000
42.	बरुड़	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	देवनल्या	447 120.000
43.	बरुड़	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	सेमल्यापडावा	458 150.000
44.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	रूपगढ़	512 40.000
45.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	मोहनपुरा	1090 40.000
46.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	झामटा	1128 50.000
47.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	रूपगढ़	512 40.000
48.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	सिरवेल	546 30.000
49.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	पलासखूंट	570 50.000
50.	सिरवेल	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	कुम्हारबैडी	587 30.000
51.	बिस्टान	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	काबरी	467 50.000
52.	बिस्टान	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	पिपलझोपा	630 150.000
53.	बिस्टान	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	देवझिरी	652 25.000
54.	बिस्टान	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	जामुनपाटी	701 50.000
55.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	मुराला	1022 50.000
56.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	मुलठान	1032 90.000
57.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	चंदनपुरी	1037 110.000
58.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	सावदा	1054 50.000
59.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	चिचलाय	1049 30.000
60.	कसरावद	ऊर्जाविन एवं चारागाह विकास	डोलानी	1068 110.000

1	2	3	4	5
			(हेक्टेयर में)	
61.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पाडल्या	1008 75.000
62.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रतनपुर	1015 50.000
63.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पोखर बुजुर्ग	992 25.000
64.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रोडिया	1000 150.000
65.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	कांश्यरकपासी	968 140.000
66.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पत्थरवाडा	976 40.000
67.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सुन्द्रले	961 40.000
68.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	घोडीखुर्द	711 15.000
69.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मोरदड़	722 25.000
70.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सपाटिया	729 90.000
71.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मांडवा	745 45.000
72.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चिरीया	748 40.000
73.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	अम्बाडोचर	939 25.000
74.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बेरछा	955 50.000
75.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चौपाली	773 40.000
76.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बोरबाल	888 14.000
77.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पलासपानी	877 11.000
78.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सतापिपरी	852 30.000
79.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	गुवाडा	789 30.000
80.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	धूपा	788 40.000
81.	बिस्टान	नदी तट प्रबंधन योजना	कुन्दा	605 60.000
82.	सिरवेल	नदी तट प्रबंधन योजना	अनेर	1092 30.000

वर्ष 2016

1.	बरुड़	बिगड़े वनों का सुधार	जलालाबाद	411	100.000
2.	बरुड़	बिगड़े वनों का सुधार	लिपनी	440	80.000
3.	बरुड़	बिगड़े वनों का सुधार	नांगलबाडी	1157	100.000
4.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	झापडीमली	1096	30.000
5.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	हाथीगुडिया	553	30.000
6.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	कुम्हारबेडी	585	30.000
7.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	रुलीबड	1110	20.000
8.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	उमरिया	1130	30.000
9.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	भुलवान्या	476	60.000
10.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	चमोली	485	50.000
11.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	गुजरबावडी	492	40.000

1	2	3	4	5
			(हेक्टेयर में)	
12.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	रूपगढ़	515 60.00
13.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	कडवापानी	536 80.000
14.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	धरमपुरी	617 40.000
15.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	लाहोरपानी	650 30.000
16.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	जामली	663 60.000
17.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	मेंडागढ़	674 50.000
18.	बिस्टान	बिगड़े वनों का सुधार	झगड़ी	689 70.000
19.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बड़ी	930 60.000
20.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	रातली	927 40.000
21.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बोन्द्रान्या	910 30.000
22.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	सेमलखूंट	761 50.000
23.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	पलासपानी	863 35.000
24.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	गाड़ग्याम	857 50.000
25.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	सातताली	808 35.000
26.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	मलगांव	806 38.000
27.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	बोरवाल	833 30.000
28.	छरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	नागझिरी	1038 90.000
29.	छरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	ऊन	1084 40.000
30.	बरुड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	महादेवपडावा	421 60.000
31.	बरुड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	जलालाबाद	1135 90.000
32.	बरुड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बीजागढ़	408 60.000
33.	बरुड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	आमाल्यापानी	1148 100.000
34.	बरुड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	देवनल्या	447 75.000
35.	बरुड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सेमल्यापडावा	459 100.000
36.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मोहनपुरा	1090 40.000
37.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	झामटा	1128 50.000
38.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रूपगढ़	512 40.000
39.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सिरवेल	546 30.000
40.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पलासखूंट	570 50.000
41.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	कुम्हारबैडी	587 30.000
42.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	काबरी	467 50.000
43.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पिपलझोपा	630 150.000
44.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	देवझिरी	652 25.000
45.	बिस्टान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	जामुनपाठी	701 50.000
46.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मुराला	1022 50.000
47.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मुल्ठान	1032 90.000
48.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चंदनपुरी	1037 110.000
49.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सावदा	1054 50.000
50.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चिचलाय	1049 30.000

1	2	3	4	5
			(हेक्टेयर में)	
51.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	डोलानी	1068 110.000
52.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पाडल्या	1008 75.000
53.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रतनपुर	1015 50.000
54.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पोखर बुजुर्ग	992 25.000
55.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	रोड़िया	1000 150.000
56.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	कांझर कपासी	968 140.000
57.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पत्थरवाडा	976 40.000
58.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सुन्द्रेल	961 40.000
59.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	घोडीखुर्द	711 15.000
60.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	मोरदड	722 25.000
61.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सपाटिया	729 90.000
62.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	माण्डवा	745 45.000
63.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चिरीया	748 40.000
64.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	अम्बाडोचर	939 25.000
65.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बेरछा	955 50.000
66.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	चौपाली	773 40.000
67.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	बोरबाल	888 14.000
68.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	पलासपानी	877 11.000
69.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	सतापिपरी	852 30.000
70.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	गुवाडा	789 30.000
71.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास	धूपा	788 40.000
72.	बिस्टान	नदी तट प्रबंधन वृत्त	कुन्दा	605 60.000
73.	सिरवेल	नदी तट प्रबंधन वृत्त	अनेर	1092 30.000
74.	भीकनगांव	मिश्रित वृक्षारोपण		970 50.000
75.	चिरीया	मिश्रित वृक्षारोपण		915 50.000
76.	चिरीया	मिश्रित वृक्षारोपण		734 50.000
77.	खरगौन	मिश्रित वृक्षारोपण		1042 25.000
78.	कसरावद	मिश्रित वृक्षारोपण		1062 50.000
79.	भीकनगांव	बांस रोपण		951 50.000
80.	बिस्टान	बांस रोपण		657 100.000
81.	सिरवेल	बांस रोपण		598 25.000
82.	सिरवेल	बांस रोपण		579 50.000

वर्ष 2017

1.	बरुड़	बिगड़े वनों का सुधार	जलालाबाद	426 100.000
2.	बरुड़	बिगड़े वनों का सुधार	लिपनी	444 80.00
3.	बरुड़	बिगड़े वनों का सुधार	नांगलवाडी	1158 70.00
4.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	झापडीमली	1097 50.00
5.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	अनेर	555 35.00
6.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	मालखेडा	589 30.00

1	2	3	4	5
			(हेक्टेयर में)	
7.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	करणडाबरा	1111 25.00
8.	सिरवेल	बिगड़े वनों का सुधार	खोखरअम्बा	1131 30.00
9.	बिस्ट्यान	बिगड़े वनों का सुधार	भुलवान्या	476 60.00
10.	बिस्ट्यान	बिगड़े वनों का सुधार	मुवासमाल	486 60.00
11.	बिस्ट्यान	बिगड़े वनों का सुधार	गुजरबावडी	499 60.00
12.	बिस्ट्यान	बिगड़े वनों का सुधार	रूपगढ़	516 80.00
13.	बिस्ट्यान	बिगड़े वनों का सुधार	कडवापानी	534 100.00
14.	बिस्ट्यान	बिगड़े वनों का सुधार	धरमपुरी	572 70.00
15.	बिस्ट्यान	बिगड़े वनों का सुधार	लाहोरपानी	653 50.00
16.	बिस्ट्यान	बिगड़े वनों का सुधार	जामली	664 50.00
17.	बिस्ट्यान	बिगड़े वनों का सुधार	मेंडागढ़	675 60.00
18.	बिस्ट्यान	बिगड़े वनों का सुधार	झागडी	690 100.00
19.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बडी	931 30.00
20.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	रातली	929 40.00
21.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	बोदरान्या	912 90.00
22.	चिरीया	बिगड़े वनों का सुधार	सेमलखूट	764 50.00
23.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	पलासपानी	867 70.00
24.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	गाड़ग्याम	873 40.00
25.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	मलगांव	809 60.00
26.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	सातताली	828 100.00
27.	तितरान्या	बिगड़े वनों का सुधार	बोरवाल	634 80.00
28.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	दसनावल	1039 15.00
29.	खरगौन	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	तलकपुरा	1076 95.00
30.	बरुड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	महादेवपडावा	423 80.00
31.	बरुड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	जलालाबाद	1136 80.00
32.	बरुड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	बीजागढ़	409 75.00
33.	बरुड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	आमाल्यापानी	1149 30.00
34.	बरुड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	देवनल्या	448 70.00
35.	बरुड़	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	सेमल्यापडावा	462 50.00
36.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	मोहनपुरा	1115 40.00
37.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	झामटा	1129 40.00
38.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	रूपगढ़	513 25.00
39.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	सिरवेल	547 30.00
40.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	पलासखूट	579 25.00
41.	सिरवेल	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	कुम्हरबैडी	590 30.00
42.	बिस्ट्यान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	काबरी	478 70.00
43.	बिस्ट्यान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	पिपलझोपा	631 100.00
44.	बिस्ट्यान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	देवझिरी	681 40.00
45.	बिस्ट्यान	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	जामुनपाटी	702 50.00

1	2	3	4	5
			(हेक्टेयर में)	
46.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	मुराला	1023 110.00
47.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	मुल्तान	1032 12.00
48.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	चंदनपुरी	1045 60.00
49.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	चिचलाय	1060 110.00
50.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	सावदा	1055 50.00
51.	कसरावद	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	डोलानी	1069 80.00
52.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	पाडल्या	1009 70.00
53.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	रतनपुर	1016 100.00
54.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	पोखरखुर्द	997 110.00
55.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	रोड़िया	1001 25.00
56.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	कांझरकपासी	969 90.00
57.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	पत्थरवाडा	977 30.00
58.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	पिपल्या	953 20.00
59.	भीकनगांव	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	सुन्द्रैल	963 15.00
60.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	घोडीखुर्द	712 30.00
61.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	चिरीया	752 25.00
62.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	सपाटिया	730 90.00
63.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	मोरदड	723 20.00
64.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	नहालदरी	901 40.00
65.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	बेरछा	956 10.00
66.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	अंबाडोचर	940 20.00
67.	चिरीया	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	मांडवा	745 40.00
68.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	चौपाली	774 40.00
69.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	बोरवाल	837 80.00
70.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	पलासपानी	865 80.00
71.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	सत्तापिपरी	823 80.00
72.	तितरान्या	ऊर्जावन एवं चारागाह विकास योजना	गुवाडा	790 80.00
73.	बिस्टान	नदी तटीय प्रबंधन वृत्त	राजमली	607 50.00
74.	सिरकेल	नदी तटीय प्रबंधन वृत्त	पलासखुंट	599 30.00
75.	खरगौन	मिश्रित वृक्षारोपण	--	1078 50.00
76.	कसरावद	मिश्रित वृक्षारोपण	--	1026 50.00
77.	बिस्टान	मिश्रित वृक्षारोपण	--	649 50.00
78.	भीकनगांव	मिश्रित वृक्षारोपण	--	966 50.00
79.	भीकनगांव	मिश्रित वृक्षारोपण	--	999 50.00
80.	चिरीया	मिश्रित वृक्षारोपण	--	915 50.00
81.	कसरावद	बांस वृक्षारोपण	--	1062 50.00
82.	तितरान्या	बांस वृक्षारोपण	--	906 25.00

एम. आर. बघेल,
वनमण्डलाधिकारी.

(1835)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून, 2017-आषाढ़ 9, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 25 जनवरी, 2017

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है।
2. जुताई.- जिला ग्वालियर, दतिया, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, उमरिया, जबलपुर व मण्डला में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।
3. बोनी.- जिला ग्वालियर, सागर, दमोह, रीवा, उमरिया, खरगोन, जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।
4. फसल स्थिति- ..
5. कटाई.- जिला बुरहानपुर में फसल सोयाबीन, ज्वार, मक्का व खरगोन में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।
6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल व बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।
8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 25 जनवरी, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोप व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर	3. अन्य असामिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधारी हुई समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना : 1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
2. जिला श्योपुर : 1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, धनिया, मैथी, मसूर. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. जिला भिण्ड : 1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. मिहोना 7. रैन	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई सरसों. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
4. जिला ग्वालियर : 1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
5. जिला दतिया : 1. सेवढ़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँफली, तिल, उड़द, मूँग समान. (2) तिल बिगड़ी.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
6. जिला शिवपुरी : 1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बद्रबास	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) उड्ड, सोयाबीन, मक्का, गन्ना, गेहूँ, चना. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली 2. ईसागढ़ 3. अशोकनगर 4. चन्द्रेंगी 5. शाढ़ौरा				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, धनिया, मसूर, सरसों. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. गुना 2. राघोगढ़ 3. बमोरी 4. आरोन 5. चाचौड़ा 6. कुम्भराज				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) अरहर, चना, राई-सरसों, मटर, गेहूँ (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी 2. पृथ्वीपुर 3. जतारा 4. टीकमगढ़ 5. बल्देवगढ़ 6. पलेरा 7. ओरछा				
10. जिला छत्तरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लौण्डी 2. गौरीहार 3. नौगांव 4. छत्तरपुर 5. राजनगर 6. बिजावर 7. बड़ामलहरा 8. बक्सवाहा				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. पर्वई 5. शाहनगर				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना 2. खुरुई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी व कटाई कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, तिल, तिवड़ा, जौ। (2) ..	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. हटा 2. बटियागढ़ 3. दमोह 4. पथरिया 5. जवेरा 6. तेन्दूखेड़ा 7. पटेरा	..				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) अरहर, गेहूँ चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों। (2) समान।	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. .. 8. पर्याप्त।
1. रघुराजनगर 2. मझगांव 3. रामपुर-बघेलान 4. नागौद 5. उचेहरा 6. अमरपाटन 7. रामनगर 8. मैहर 9. बिरसिंहपुर	..				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है।	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. त्याँथर 2. सिरमौर 3. मऊगंज 4. हनुमना 5. हजूर 6. गुढ़ 7. रायपुरकर्चुलियान	..				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) तुअर, राई-सरसों, चना, मसूर, अलसी, गेहूँ, जौ। (2) सुधरी।	5. अपर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. सोहागपुर 2. ब्यौहारी 3. जैसिंहनगर 4. बुढार 5. जैतपुर 6. गोहपारू	..				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) तुअर, अलसी, मसूर, गेहूँ, चना सुधरी। (2) तुअर समान।	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. जैतहरी 2. अनूपपुर 3. कोतमा 4. पुष्पराजगढ़	
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों। (2) समान।	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. बांधवगढ़ 2. पाली 3. मानपुर	..				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) अलसी, चना, गेहूँ, राई-सरसों, मसूर, जौ। (2) समान।	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. *जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. शीत लहर से 10 से 15% हानि है. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासराट्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मंदसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुंधड़का 9. संजीत 10. कयामपुर				
22. *जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावद 2. नीमच 3. मनासा				
23. *जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलोदा 6. रत्लाम				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरोद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौदा 2. आलोट 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. शीत लहर से 15% आलू, धनिया व चना में हानि है. 4. (1) गेहूँ, चना, राई, मसूर. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) कपास, गेहूँ, चना, मटर. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. सोनकछु 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नोद 6. खातेगांव				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, कपास, गेहूँ, चना. (2) सुधरी.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर				7. .. 8. पर्याप्त.
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. 4. (1) गेहूँ, चना, मक्का, मूँगफली. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कट्टीवाड़ा 4. सोडवा 5. भामरा				7. .. 8. पर्याप्त.
30. *जिला धार :	मिलीमीटर	2.	..	3. 4. (1) (2) ..	5. .. 6. ..
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही				7. .. 8. ..
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सांवर 3. इन्दौर 4. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2.	बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुअर, चना, अलसी, राई-सरसों. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेगांव 4. खरगौन 5. गोगावां 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगांव 9. द्विरन्या				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार, कपास कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बड़वानी	..				7. पर्याप्त. 8. ..
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) सुधरी.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				7. .. 8. पर्याप्त.
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2.	सोयाबीन, ज्वार व मक्का की कटाई चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) सुधरी.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. खक्कनार	..				
3. नेपानगर	..				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. लटेरी	..				7. .. 8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, ..
1. सीहोर	..				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, तिवड़ा, मसूर, मटर, अलसी, राई-सरसों, मूँग, धनिया. (2) समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. 7. पर्याप्त. 8. ..
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मसूर, चना. (2) सुधरी.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, .. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाड़ोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिंचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, तुअर, मटर, मसूर, गन्ना. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2.	जुताई एवं बोनी कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. 7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझोली	..				
5. कुण्डमपुर	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, अलसी, मसूर, राई-सरसों. (2) सुधरी.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त. 7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराधौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू है.	3. 2 से 3% तुअर, मसूर, प्रभावित है. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटांव 5. तेंदूखेड़ा				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज				
48. *जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. डिण्डोरी 2. बजाग 3. शाहपुरा				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, धान. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा 2. जुन्नारदेव 3. परासिया 4. तामिया 5. सोंसर 6. पांदुणा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. बिछुआ 10. हर्फई 11. बोलखेड़ा				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड्ढ, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन, गना. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादोन 4. बरधाट 5. कुरई 6. घंसोर 7. घनोरा 8. छपारा				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. बोनी कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटांगी 6. किरनापुर 7. खैरलांगी 8. लालबरा 9. परसवाड़ा 10. बिरसा				

टीप.-*जिला सिंगरेली, नीमच, रत्लाम, धार व डिण्डोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

सुहेल अली,
आयुक्त,
भू-अभिलोख, मध्यप्रदेश।

(1824)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2017.